



लोकेशन हेतु स्कैन करें

विज्ञप्ति क्र.: 298

दिनांक : 22.12.2025

योजना क्र. 134 के भूखण्ड क्र. 23-आर.सी. पर निर्मित वसुंधरा काम्पलेक्स में 02 व्यवसायिक दुकानों (Commercial Shops) को भू-स्वामी अधिकार पर न्यूनतम मूल्य पर या उससे अधिक मूल्य पर व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	दुकान क्रमांक	आरक्षित श्रेणी	सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल (व.मी.)	न्यूनतम मूल्य (लाख में)	अर्नेस्ट मनी (रु. लाख में)
1	एस-8 (डबल हाईट)	सामान्य	24.59	74.00	7.40
2	एस-12 (सिंगल हाईट)	सामान्य	21.64	49.00	4.90

ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण दिनांक

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र कय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	26-12-2025	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति राशि) जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	16-01-2026	18:00 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन एवं ऑफर प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	19-01-2026	18:00 hrs.
4	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र जाँच हेतु खोलने का दिनांक एवं समय	20-01-2026	12:30 hrs Onwards
5	पात्र निविदादाताओं के ऑनलाईन वित्तीय प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	27-01-2026	12:30 hrs

नोट :-

- ❑ निविदा एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल <https://www.vikaspradhikaran.mponline.gov.in> पर देखी एवं कय की जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिये आवेदक को पोर्टल पर अपनी लॉग-इन आय.डी. बनाकर प्रोफाइल में आवश्यक जानकारी दर्ज करना होगी। आवेदक ऑनलाईन निविदा स्वयं अथवा एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क सेन्टर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। एम.पी.ऑनलाईन का हेल्प डेस्क नंबर 0755-6720200 है।
- ❑ निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति) राशि का भुगतान ऑनलाईन स्वयं के क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग / आर.टी.जी.एस. के माध्यम से कर सकेगा।
- ❑ निविदादाता को अपने निविदा ऑफर (मूल्य) ऑनलाईन देना होगा। सभी डाक्यूमेंट्स ऑनलाईन अपलोड करना होंगे। निविदादाता को पंजीयन राशि रसीद, पेन नंबर, निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्तें आदि की प्रति स्कैनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
- ❑ निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- ❑ सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- ❑ प्राधिकरण को निविदा स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर

अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में श्री हेमन्त उपाध्याय (मो. 9893699121) से संपर्क करें अथवा प्राधिकारी की वेबसाइट www.idaindore.org पर देखें।